BIJNOR POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

माह जनवरी – 2024

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह जनवरी में कुल-62 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया –

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह जनवरी – 2024 में कुल – 62 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0/धारा/ गुमशुदगी	अपहृत (महिला/पुरुष/बालक/ बालिका)
1	कोतवाली शहर	915 /23	366 भादवि
2	कोतवाली शहर	34 /24	366, 376 भादवि
3	कोतवाली शहर	57 /24	363 भादवि
4	हल्दौर	10 /24	366 भादवि
5	मण्डावर	09 /24	366 भादवि
6	मण्डावर	13 /24	366 भादवि
7	मण्डावर	26 /24	366 भादवि
8	नजीबाबाद	718 /23	363, 504, 506 भादवि
9	नजीबाबाद	09 /24	366 भादवि
10	नजीबाबाद	15 /24	366 भादवि
11	किरतपुर	614 /23	363 भादवि
12	किरतपुर	11 /24	366 भादवि
13	किरतपुर	18 /24	366 भादवि

14	किरतपुर	19 /24	363, 366 भादवि (02 बरामद)
15	किरतपुर	32 /24	363 भादवि
16	किरतपुर	40 /24	366 भादवि
17	किरतपुर	56 /24	363 भादवि
18	किरतपुर	59 /24	120बी, 366 भादवि
19	नांगल	09 /24	366 भादवि
20	नांगल	15 /24	366 भादवि
21	मण्डावली	287 /23	366 भादवि
22	चांदपुर	710 /23	363 भादवि
23	चांदपुर	42 /24	363 भादवि
24	चांदपुर	46 /24	363 भादवि
25	नूरपुर	468 /23	366 भादवि
26	नूरपुर	492 /23	366, 504, 506 भादवि
27	नूरपुर	508 /23	363 भादवि
28	हीमपुर दीपा	212 /23	366 भादवि
29	हीमपुर दीपा	03 /24	363 भादवि वृद्धि धारा 376 भादवि 3/4 पॉ0एक्ट
30	शिवाला कला	182 /23	363 भादवि
31	शिवाला कलां	184 /23	366 भादवि
32	नगीना	435 /23	366 भादवि
33	कोतवाली देहात	308 /23	363 भादवि वृद्धि धारा 376 भादवि व 3/4 पॉ0 एक्ट
34	कोतवाली देहात	350 /23	366 भादवि
35	बढापुर	129 /23	366 भादवि (02 बरामद)
36	बढापुर	273 /23	366 भादवि
37	नगीना देहात	24 /24	323, 366, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट
38	धामपुर	521 /23	366, 120 बी भादवि
39	धामपुर	567 /23	366 भादवि
40	धामपुर	05 /24	366 भादवि
41	धामपुर	34 /24	120बी, 366 भादवि
42	धामपुर	37 /24	363 भादवि व 3(2)5क एस.सी.एस.टी. एक्ट
43	स्योहारा	339 / 23	366 भादवि
44	स्योहारा	584 /23	366 भादवि
45	स्योहारा	660 /23	366 ,120 बी भादवि
46	स्योहारा	04 /24	366, 120 बी भादवि
47	स्योहारा	15 /24	363, 366 भादवि
48	स्योहारा	18 /24	363, 366 भादवि
49	स्योहारा	20 /24	366 भादवि
50	नहटौर	441 /23	366 भादवि

51	नहटौर	572 /23	363 भादवि
52	नहटौर	03 /24	366 भादवि
53	नहटौर	16 /24	366 भादवि
54	अफजलगढ	450 /23	366 भादवि
55	अफजलगढ	460 /23	363 भादवि
56	अफजलगढ	468 /23	366 भादवि
57	अफजलगढ	20 /24	363, 504 भादवि
58	अफजलगढ	22 /24	366 भादवि
59	शेरकोट	12 /24	366 भादवि
60	रेहड	124 /23	366 भादवि

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 31.01.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैर जमानती वांरट की तामील, वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	विक्रम पुत्र किशोरी सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
2	कोतवाली शहर	जयपाल पुत्र मेघा निवासी ग्राम दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3	कोतवाली शहर	राजपाल पुत्र मेघा निवासी ग्राम दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4	मंडावर	मोनू पुत्र भूप सिहं निवासी ग्राम नाईवाला थाना मण्डावर बिजनौर।
5	नजीबाबाद	शाकिर पुत्र अकरम नि0 आवास विकास कॉलोनी कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर।
6	किरतपुर	अतीक उर्फ बोनी पुत्र शरीफ निवासी मौ0 कस्सावान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
7	धामपुर	रिंकू पुत्र हरफुल निवासी होला कॉलोनी पुरानी चुंगी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
8	नहटौर	वकील अहमद पुत्र शिब्ते हसन निवासी ग्राम बैरमाबाद गढी थाना नहटौर बिजनौर।
9	नहटौर	सुल्तान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम नसीरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

थाना कोतवाली शहर

थाना किरतपुर

थाना धामपुर

थाना नहटौर

थाना मण्डावर

थाना नजीबाबाद

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 31.01.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 39/2024 धारा 307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.01.2024 को वादी श्री पुखराज सिंह पुत्र श्री राम सिह निवासी ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अर्जुन 2.कमल 3.प्रशान्त 4.सुन्दर पुत्रगण करन सिंह निवासीगण ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी जिससे वादी के सिर मे गम्भीर चोट आयी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 308/323/324/504/506 भादवि बनाम अर्जुन आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 308 भादवि का लोप कर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 39/2024 धारा 307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रशान्त कुमार पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रशान्त कुमार पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.कां0 1135 प्रभात शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर दिनॉक 31.01.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 38/24 धारा 325/504/506 भादवि में वांछित चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.01.2024 को वादिनी शकीला पत्नी कपिल नि0 ग्राम सीकरी थाना किरतपुर बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों व धारदार हथियार से मारपीट की जिससे वादिनी के पति को चोटें आयी तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 38/24 धारा 307/325/504/506 भादवि बनाम 1.रईश पुत्र छुन्नु 2. सोमीन पुत्र छुन्नु 3. फरीयाद पुत्र छुन्नु 4.शाहरूख पुत्र अख्तर निवासीगण ग्राम सीकरी थाना किरतपुर बिजनौर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 307 भादवि का लोप किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 38/24 धारा 325/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.रईश पुत्र छुन्नु 2. सोमीन पुत्र छुन्नु 3. फरीयाद पुत्र छुन्नु 4.शाहरूख पुत्र अख्तर निवासीगण ग्राम सीकरी थाना किरतपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.रईश पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.सोमीन पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.फरीयाद पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4.शाहरूख पुत्र अख्तर निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री आरिफ खान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2–हे0का0 626 रविन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3–का0 1107 सुधीर कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 31.01.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 39/2024 धारा 307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.01.2024 को वादी श्री पुखराज सिंह पुत्र श्री राम सिह निवासी ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अर्जुन 2.कमल 3.प्रशान्त 4.सुन्दर पुत्रगण करन सिंह निवासीगण ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी जिससे वादी के सिर मे गम्भीर चोट आयी । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 308/323/324/504/506 भादवि बनाम अर्जुन आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 308 भादवि का लोप कर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 39/2024 धारा 307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रशान्त कुमार पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रशान्त कुमार पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम नामदारपुर उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.कां0 1135 प्रभात शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर दिनॉक 31.01.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 38/24 धारा 325/504/506 भादवि में वांछित चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.01.2024 को वादिनी शकीला पत्नी कपिल नि0 ग्राम सीकरी थाना किरतपुर बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों व धारदार हथियार से मारपीट की जिससे वादिनी के पति को चोटें आयी तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 38/24 धारा 307/325/504/506 भादवि बनाम 1.रईश पुत्र छुन्नु 2. सोमीन पुत्र छुन्नु 3. फरीयाद पुत्र छुन्नु 4.शाहरूख पुत्र अख्तर निवासीगण ग्राम सीकरी थाना किरतपुर बिजनौर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 307 भादवि का लोप किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 38/24 धारा 325/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.रईश पुत्र छुन्नु 2. सोमीन पुत्र छुन्नु 3. फरीयाद पुत्र छुन्नु 4.शाहरूख पुत्र अख्तर निवासीगण ग्राम सीकरी थाना किरतपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.रईश पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.सोमीन पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.फरीयाद पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4.शाहरूख पुत्र अख्तर निवासी ग्राम सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री आरिफ खान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2–हे0का0 626 रविन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3–का0 1107 सुधीर कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनाँक 31.01.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 54/2024 धारा 332/504/506/353/323 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.01.2024 को वादी अवर अभियन्ता श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री तेलूराम निवासी 33/11 KV S/S बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शहनवाज पुत्र श्री इदरीश निवासी ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए वादी के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 54/2024 धारा 332/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 353/323 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 54/2024 धारा 332/504/506/353/323 भादवि में वांछित अभियुक्त शहनवाज पुत्र श्री इदरीश ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शहनवाज पुत्र श्री इदरीश ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 इन्देश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 1093 नवनीत कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 1905 जगदीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर   दिनाँक 31.01.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 37/2024 धारा 363/366/376(3) भादवि, धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.01.2024 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शुभम पुत्र हरवीर निवासी ग्राम धौकलपुर थाना को0 शहर जनपद बिजनौर, 2. सोनू पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सिकैडा थाना को0 शहर जनपद बिजनौर व 3. सचिन निवासी ग्राम रहमानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 37/2024 धारा 363 भादवि व धारा 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मतक कार्यवाही एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 5क एससी/एसटी एक्ट का लोप करते हुए धारा 366/376(3) भादवि व धारा 5 एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 37/2024 धारा 363/366/376(3) भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शुभम पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शुभम पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री श्यामपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनाँक 31.01.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त साजन पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

साजन पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.हे0का0 97 सलीम जावेद थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना बढापुर **दिनाँक 31.01.2024**

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 17/2024 धारा 307/504 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.01.2024 को वादी जगदीश सिहं पुत्र अमरीक सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण बन्टी पुत्र बूटा सिंह व जगीर पुत्र रणजीत सिंह निवासीगण ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र सुखविन्दर व कुलविन्दर सिंह पुत्र स्व0 चरन सिंह निवासी ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर के साथ डीजे पर गाना बजाने को लेकर गाली गलौच करते हुए तमन्चे से फायर कर घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 17/2024 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त बिल्लू पुत्र बब्बू सिंह निवासी कुंडा चौराहा डुमरिया थाना रामनगर जनपद नैनिताल उत्तराखण्ड का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बिल्लू पुत्र बब्बू सिंह निवासी कुंडा चौराहा डुमरिया थाना रामनगर जनपद नैनिताल उत्तराखण्ड को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

बिल्लू पुत्र बब्बू सिंह निवासी कुंडा चौराहा डुमरिया थाना रामनगर जनपद नैनिताल उत्तराखण्ड

बरामदगी विवरणः-

घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा 12 मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 721 सोनू कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2454 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक 31.01.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 42/2024 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.01.2024 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर अपनी पुत्री को बहला – फुसलाकर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 42/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहृता को पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का नाम व पता –

एक बाल अपचारी

बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 1504 अनिल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 31.01.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 09.09.2020 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र पुत्र झबरे निवासी ग्राम नन्नू डेलपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर आदि के विरुद्ध थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 250/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.01.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-VI बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 250/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र झबरे निवासी ग्राम नन्नू डेलपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

भूपेन्द्र पुत्र झबरे निवासी ग्राम नन्नू डेलपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 31-01-2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 06 अभियुक्तों को चोरी किये गये विद्युत लाइन के उपकरणों व अन्य सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.12.2023 को वादी श्री मुनेश कुमार, अवर अभियंता 33/11 के0वी0 S/S आदर्शनगर नजीबाबाद ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 14/15.12.2023 को अज्ञात चोरों द्वारा प्लाई फैक्ट्री, जलालाबाद के पास में रखे 250 KVA T/F को खुर्द बुर्द कर अन्दर का सामान चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 768/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 30.01.2024 को वादी श्री मुनेश कुमार, अवर अभियंता 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र अकबराबाद, कोतवाली देहात ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम जगदीशपुर उर्फ बाजीपुर में 132 सबस्टेशन नजीबाबाद से अकबराबाद को जाने वाली 33 KV लाइन के 02 नग Rail Pole काट लिये है। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 40/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त दोनों अभियोगों में अभियुक्तगण 1.शबाब अहमद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी पुकार टॉकीज कोटद्वार रोड थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.जहीर पुत्र जमील निवासी मौ0 हिन्दु कढेरा थाना नगीना जनपद बिजनौर 3.समीर उर्फ बब्लू निवासी कंजर बस्ती कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 4.फुरकान पुत्र रहीश निवासी कंजर बस्ती कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 5.रिजवान पुत्र सफिक निवासी मौ0 नई बस्ती चार बाग कस्बा जाफ्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 6.मंजीत पुत्र रामविलास निवासी खुशहालपुर मडका थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 768/2023 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 40/2024 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शबाब अहमद 2.जहीर 3.समीर उर्फ बब्लू 4.फुरकान 5.रिजवान 6.मंजीत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी किया गया विद्युत लाइन एवं ट्रांसफॉर्मर का सामान बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शबाब अहमद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी पुकार टॉकीज कोटद्वार रोड थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.जहीर पुत्र जमील निवासी मौ0 हिन्दु कढेरा थाना नगीना जनपद बिजनौर

3.समीर उर्फ बब्लू निवासी कंजर बस्ती कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.फुरकान पुत्र रहीश निवासी कंजर बस्ती कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

5.रिजवान पुत्र सफिक निवासी मौ0 नई बस्ती चार बाग कस्बा जाफ्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

6.मंजीत पुत्र रामविलास निवासी खुशहालपुर मडका थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

12 टुकडे बिजली के खम्भे रेलवे पोल डिजाईन

16 इन्सुलेटर पिन

05 मीटर एल्युमिनयम तार

10 किलो तांबे का तार

गैस कटर मय आक्सीजन सिलेण्डर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2-उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैंसला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3-हे0कां0 519 पियूष थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4-हे0कां0 520 विपिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

5-हे0कां0 484 राहुल वैदवान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

6-कां0 39 सन्नी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

7-कां0 815 सचिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

8-कां0 1124 नितिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

9-कां0 962 शुभम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर